ई सी जी सी ECGC

ईसीजीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

शिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन शिक्षुओं की नियुक्ति

26.02.2022

ईसीजीसी लिमिटेड , जो कि ऋण जोखिम बीमा एवं निर्यातों से संबन्धित सेवाएँ प्रदान करते हुए निर्यातों के संवर्धन के उद्देश्य से वर्ष 1957 में भारत सरकार द्वारा स्थापित उद्यम है, द्वारा नई दिल्ली , मुंबई , चेन्नई एवं कोलकाता, हैदराबाद , बैंगलूरु, अहमदाबाद एवं तिरुपुर में स्थित कार्यालयों में भारतीय नागरिकों को शिक्षुओं को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखता है। शिक्षु नियम 1992 एवं शिक्षु संधोधान अधिनियम 2014 एवं शिक्षु (संशोधन) नियम 2019 के साथ पढे जाने वाले के शिक्षु अधिनियम 1961 (समय समय में संशोधित) अधीन शिक्षुओं को निम्न वैकल्पिक व्यवसाय के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित हैं:

क्र सं :	स्थान	व्यवसाय शिक्षु	प्रशिक्षण रिक्तियों की सं	पात्रता / न्यूनतम योग्यता	प्रशिक्षण की अवधि
1.	मुंबई	कार्यालय परिचालन कार्यपालक (कार्यालयीन कार्य)	5	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री (स्नातक) अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता। वाणिज्य / कारोबार प्रशासन विषयों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति हेतु आधारभूत अँग्रेजी का ज्ञान एवं आधारभूत कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य है।	24 माह
2.	नई दिल्ली	कार्यालय परिचालन कार्यपालक (कार्यालयीन कार्य)	5		
3.	चेन्नई	कार्यालय परिचालन कार्यपालक (कार्यालयीन कार्य)	5		
4.	कोलकाता	कार्यालय परिचालन कार्यपालक (कार्यालयीन कार्य)	5		

क्र सं :	स्थान	व्यवसाय शिक्षु	प्रशिक्षण रिक्तियों की सं	पात्रता / न्यूनतम योग्यता	प्रशिक्षण की अवधि
5.	बैंगलूरु	कार्यालय परिचालन कार्यपालक (कार्यालयीन कार्य)	2	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री (स्नातक) अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता। वाणिज्य / कारोबार प्रशासन विषयों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति हेतु आधारभूत अँग्रेजी का ज्ञान एवं आधारभूत कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य है।	24 माह
6.	अहमदाबाद	कार्यालय परिचालन कार्यपालक (कार्यालयीन कार्य)	1		
7.	तिरुपुर	कार्यालय परिचालन कार्यपालक (कार्यालयीन कार्य)	2		
8.	हैदराबाद	कार्यालय परिचालन कार्यपालक (कार्यालयीन कार्य)	2		
कुल योग			20		

- **नोट : ऊपर उल्लिखित प्रशिक्षण सीटें अनंतिम हैं एवं कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप उनमें संशोधन किया जा सकता है।**

क. **पात्रता की शर्तें**

1. राष्ट्रियता / नागरिकता : उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
2. आयु (दिनांक 26.02.2022 तक) न्यूनतम - 21 वर्ष , अधिकतम - 28 वर्ष यथा, उम्मीदवार का जन्म दिनांक 27.02.1994 के पहले एवं दिनांक 26.02.2001 के बाद (दोनों ही तारीखें शामिल हों) नहीं होना चाहिए। उल्लिखित अधिकतम आयु अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (इसके पश्चात ई डबल्यू एस) के लिए है। अनुसूचित जाति (इसके पश्चात अनु जा के रूप में संदर्भित) / अनुसूचित जन जाति (इसके पश्चात अनु जन जा के रूप में संदर्भित) / अन्य पिछड़ी जाति (इसके पश्चात अ पि जा के रूप में संदर्भित)/दिव्याङ्ग उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार

अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आवेदन की तारीख तक): भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री (स्नातक) अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता। वाणिज्य / कारोबार प्रशासन विषयों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति हेतु आधारभूत अँग्रेजी का ज्ञान एवं आधारभूत कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य है।

4. उम्मीदवार के पास आवेदन की तारीख को उनके द्वारा प्रशिक्षु पद के लिए आवेदन करते समय आवेदन में उल्लिखित अंकों के प्रतिशत /स्नातक स्तर पर उन्हें प्राप्त संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (इसके पश्चात सी जी पी ए के रूप में संदर्भित) का उल्लेख करते हुए वैध अंक पत्र / डिग्री प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए।

ख. **चयन प्रक्रिया**

आरंभ में उम्मीदवारों को उनके रुचि के तैनाती के स्थल पर तैनात किया जाएगा। शिक्षु की भूमिका पर उम्मीदवारों का चयन डिग्री (स्नातक) में उनको प्राप्त अंकों के प्रतिशत / सी जी पी ए एवं उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों का प्रशिक्षु के रूप में चयन उन्के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। कंपनी द्वारा उक्त अनुसार चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा करने एवं कंपनी द्वारा मूल दस्तावेज़ों के सत्यापन के पश्चात अंतिम चयन का निर्णय लिया जाएगा।

ग. **शिक्षु करार**

शिक्षु अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन चयनित शिक्षुओं को कंपनी के साथ शिक्षु करार करना होगा।

घ. **वेतन**

1. शिक्षु एक वर्ष की नियुक्ति के दौरान 15,000/- (पंद्रह हज़ार रु) प्रतिमाह के वेतन हेतु पात्र होंगे एवं दूसरे वर्ष से वे 18,000/- (अठारह हज़ार) प्रतिमाह के वेतन के लिए पात्र होंगे। वे अन्य किसी प्रकार के भत्तों / सुविधाओं के पात्र नहीं होंगे।
2. कार्य पर प्रशिक्षण के लिए शिक्षु को नियमित उपस्थिती के आधार पर वेतन की मासिक अदायगी की जाएगी।

ङ. **बोर्डिंग /आवास / यात्रा व्यय**

किसी प्रकार का बोर्डिंग /आवास / यात्रा व्यय मान्य नहीं है।

च. **आवेदन की पद्धति**

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि अनुलग्नक - 1 में उल्लिखित फॉर्म को भरे एवं आवेदन फॉर्म में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ apprenticeship@ecgc.in दिनांक 07.03.2022 तक अथवा उस के पूर्व प्रस्तुत करें। दिनांक 07.03.2022 के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

छ. **उम्मीदवार द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाये**

1. विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन फॉर्म
2. माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट (एस एस सी) / मेट्रीक्यूलेशन अंक पत्र
3. स्नातक स्तर अथवा समतुल्य योग्यता के अंक पत्र सहित डिग्री / अनंतिम प्रमाण पत्र अथवा प्रमाण पत्र / डिप्लोमा आदि , इसमें से जो भी लागू हो।
4. जन्म तारीख का सबूत
5. अनु जा / अनु जन जा / अ पि जा प्रमाण पत्र , यदि लागू हो तो,
6. गज़ट अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र
7. शारीरिक दिव्यांग्ता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो,
8. आधार कार्ड की प्रति
9. हाल का एवं पहचानने योग्य पासपोर्ट फोटो (4.5 से मी x 3.5 से मी डायमेंशंस वाले)

ज. **चिकित्सकीय जांच**

कंपनी की आवश्यकता के अनुसार चुने गए शिक्षुओं का उनके चिकित्सकीय तौर पर स्वस्थ्य होना नियुक्ति की शर्त है।

झ. सामान्य जानकारी

1. उम्मीदवार का इसके पूर्व कंपनी अथवा किसी अन्य संगठन, औध्योगिक इकाई में शिक्षु अधिनियम 1961 , यथा संशोधित के अनुसार शिक्षु के रूप में प्रशिक्षण **नहीं** लिया गया हो।

2. जिन उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए एक अथवा

अधिक वर्ष की आवधि का प्रशिक्षण अथवा अनुभव प्राप्त हो वे इसके लिए प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

3. शिक्षु की अवधि को पूर्ण करने के उपरांत कंपनी का कोई दायित्व नहीं होगा की वह शिक्षुओं को नियमित रोजगार दे। शिक्षु की अवधि पूर्ण होने के उपरांत उम्मीदवारों को उनके संबन्धित कार्य क्षेत्र से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा।

4. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति अथवा नामंज़ूरी , चयन की पद्धति , चयन प्रक्रिया को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाना आदि पर कंपनी का निर्णय सभी उम्मीदवारों पर बाध्य होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

5. उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर स्थलों को भरने का पूर्ण अधिकार कंपनी का होगा एवं उम्मीदवारों की अयोग्यता / स्थलों की अपर्याप्तता के कारण यदि कोई स्थान नहीं भरे जाते हैं तो इस पर किसी प्रकार के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. केवल विधिवत भरे हुए आवेदन ही शिक्षुओ के चयन हेतु मान्य होंगे , अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उन्हें नामंज़ूर कर दिया जाएगा।

7. शिक्षु हेतु नियुक्ति के लिए उक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ही कंपनी द्वारा शिक्षु हेतु आवेदनों को आमंत्रित करेगी एवं दस्तावेज़ों के सत्यापन के दौरान उनकी पात्रता का निर्धारण किया जाएगा।

8. शिक्षु हेतु अंतिम चयन उमीद्वारों द्वारा प्रस्तुत आयु / योग्यता / श्रेणी (अनु जा / अनु जन जा / अ पि जा / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग) आदि से संबन्धित दस्तावेज़ों के सत्यापन के अधीन होगा।

9. जो उम्मीदवार अंतिम तारीख के पूर्व आवेदनों की प्रस्तुति करने में असमर्थ हों उनके लिए कंपनी किसी प्रकार की ज़िम्मेदारी ग्रहण नहीं करेगा।

10. किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाएँ। बहू आवेदनों के मामले में , केवल अंतिम वैध (विधिवत पूर्ण रूप से भरा हुआ) आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा केवल एक स्थान के

लिए ही आवेदन प्रस्तुत किए जाये।

11. उम्मीदवार को नियुक्ति के समय मांगे जाने पर विधिवत भरा हुआ फ़ोम एवं उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
12. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (आ पि व) श्रेणी के लिए सुविधा प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी " आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
13. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि आवेदन में उल्लिखित ईमेल आई डी एवं मोबाइल नं सक्रिय रखें ताकि समय समय पर जारी सूचना जैसे आमंत्रण पत्र / सूचना आदि समय पर प्राप्त हों।
14. चयनित उम्मीदवारों का चयन कंपनी की आवश्यकता के अनुसार उनके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ्य होने पर आधारित होगा एवं इस प्रकार का चयन कंपनी के संबन्धित नियमों / नीतियों / दिशानिर्देशों के अधीन होगा।
15. इस विज्ञापन तथा / अथवा आवेदन की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न किसी प्रकार का दावा अथवा विवाद आदि के मामले में विधिक कार्यवाही केवल मुंबई एवं मुंबई स्थित न्यायालय / न्यायाधिकरण / फोरम में ही की जाएगी एवं किसी भी कारण / विवाद के लिए मुंबई ही एक मात्र सीमक्षेत्र होगा।
16. कृपया नोट करें कि उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्म तारीख, पता, मोबाइल सं ईमेल आईडी आदि सहित आवेदन में उल्लिखित विवरणों को अंतिम माना जाएगा एवं निर्धारित ईमेल आई डी से आवेदन भेजे जाने के उपरांत उनमें किसी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। अतः उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अत्यंत सावधानी पूर्वक ऑनलाइन आवेदन भरे क्यों कि एक बार भर दिये जाने के उपरांत किसी प्रकार के संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण आवेदन करने अथवा आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरण प्रदान करने में होने वाली चूक से उत्पन्न परिणामों के लिए ईसीजीसी की किसी प्रकार की ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
17. साकसाटकर के लिए दिनांक, समय एवं स्थान में परिवर्तन संबंधी किसी भी प्रकार के अनुरोध, यदि कोई हो तो, पर विचार नहीं किया जाएगा।
18. ईसीजीसी को अधिकार है कि वह चयन प्रक्रिया को किसी भी अवस्था में पूर्ण रूप से रद्द कर सकता है।

ञ. अस्वीकारण

1. शिक्षु के रूप में नियुक्ति की किसी भी चरण में यदि यह ज्ञात हो कि उम्मीदवार द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया गया है तथा / अथवा उन्होने गलत जानकारी प्रस्तुत की है अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है , उन्होने प्रक्रिया के समय अवैध पद्धति को अपनाया था तो उनकी उम्मीदवारी तुरंत ही समाप्त कर दी जाएगी। यदि ये कमियाँ नियुक्ति के पश्चात भी दिखें तो उनका प्रशिक्षण निरस्त कर दिया जाएग।
2. पात्रता , साक्षात्कार (यदि कोई हो तो) एवं चयन में कंपनी का निर्णय सभी उम्मीदवारों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कंपनी द्वारा किसी प्रकार का प्रतिवेदन अथवा पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रचार अथवा किसी भी प्रकार का प्रभाव लाने पर उम्मीदवार को अयोग्य मान लिया जाएगा।
4. शिक्षु अवधि की समाप्ती पर कंपनी का , इस प्रकार के शिक्षुओं की नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का दायित्व नहीं होगा और न ही शिक्षु अवधि की पूर्ण पर शिक्षुओं को रोजगार का दावा करने का अधिकार होगा।
5. अप्राधिकृत व्यक्ति / संस्था द्वारा गलत आवेदन करने / जानकारी प्रदान किए जाने पर ईसीजीसी की किसी प्रकार की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उनके आवेदन में उल्लिखित विवरणों को किसी के साथ साझा न करें।

अनुबंध -1

ईसीजीसी लिमिटेड में शिक्षु प्रशिक्षण हेतु आवेदन फॉर्म

पासपोर्ट आकार के फोटो को यहाँ चिपकायें (4.5” x 3.5 सें मी डायमेंशंस में)

महत्वपूर्ण निर्देश

I. आवेदक द्वारा इसमें उल्लिखित सभी फील्ड सुपाठ्य लिखावट से पूर्ण रूप से भरा जाना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन नामंज़ूर कर दिये जाएँगे।

II. सभी आवेदनों को apprenticeship@ecgc.in में भरा जाये

1. स्थान जहां उम्मीदवार आवेदन करना चाहता/ती है :
   (केवल एक चुनें -(I) मुंबई (II) नई दिल्ली (III)चेन्नई (IV) कोलकाता
   (V) बेंगलुरु (VI) अहमदाबाद (VII) हैदराबाद (VIII) तिरुपुर
2. आवेदक का नाम :
3. स्त्री / पुरुष / अन्य :
4. पिता का नाम :
5. माता का नाम :
6. जन्म तिथि (दिनांक / माह / वर्ष):
   (कक्षा 10/12/एस एस सी / एच एस सी के प्रमाण पत्रों के आधार पर)
7. शैक्षणिक योग्यता :

उत्तीर्ण परीक्षा	**उत्तीर्ण होने का वर्ष**	**शैक्षणिक योग्यता**	**संस्था का नाम**	**अंकों का % सी जी पी ए**	**धारा**
10 वीं कक्षा / एस एस सी / मेट्रीक्यूलेशन					
12 वीं कक्षा / एच एस सी					
स्नातक					

8. श्रेणी : (अनु जा / अनु जन जा / अ पि जा (गैर नवोन्नत वर्ग)/आ पि व / अनारक्षित
9. क्या दिव्यांग हैं (दिव्यांग व्यक्ति हैं): (हाँ/ नहीं)

10. *मोबाईल नं .:
11. *ईमेल आई डी :
12. *आधार सं.:
13. पैन कार्ड सं.:
14. स्थायी पता :

15. क्या आपने इसके पहले भी शिक्षु का प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?: (हाँ /नहीं)
16. क्या आप स्नातक की शिक्षा के उपरांत एक वर्ष से अधिक कार्यरत थे ? (हाँ /नहीं)

मैं एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करती /ता हूँ कि मेरे द्वारा उपलब्ध उक्त विवरण सत्य एवं सही हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर :

अनुलग्नकों की जांच सूची :

- क. विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन फॉर्म
- ख. माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट / मेट्रीक्यूलेशन अंक पत्र
- ग. अंक पत्र सहित स्नातक स्तर की डिग्री / अनंतिम प्रमाण पत्र अथवा समतुल्य योग्यता के प्रमाण पत्र / डिप्लोमा आदि जो भी लागू हो।
- घ. जन्म तिथि का सबूत
- ङ. अनु जा / अनु जन जा / अ पि जा / आ पि व प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो
- च. शारीरिक दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, यदि कोई हो तो
- छ. चरित्र प्रमाण पत्र, गज़ट अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित
- ज. आधार कार्ड की प्रति
- झ. हाल ही का एवं पहचानने योग्य पारपोर्ट आकार का फोटो (4.5 सें मी क्ष 3.5 सें मी डायमेंशंस वाला) आवेदन फॉर्म में चिपकायें